प्राक्कथन

गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण सड़क योजना में कमियों को सुधारने की एक नीति के रूप में भारत सरकार (जीओआई) ने ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य असयुंक्त बस्तियों को बारहमासी सड़क संयोजकता प्रदान करने हेतु 25 दिसंबर 2000 को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' (पीएमजीएसवाई) प्रारम्भ की। कार्यक्रम दसवीं पंचवर्षीय योजना (2007) की समाप्ति तक 500 व्यक्तियों (पर्वतीय राज्यों, जनजातीय तथा मरूस्थल क्षेत्रों के मामले में 250) तथा अधिक की जनसंख्या वाले 1.41 लाख बस्तियों को संयोजकता प्रदान करने की अभिकल्पना करता है।

मार्च 2015 तक, 1.78 लाख योग्य बस्तियों (समेकित कार्रवाई योजना आदि के अंतर्गत जनजातीय तथा पिछड़े जिलों में 250 व्यक्तियों तथा अधिक के जनसंख्या वाली बस्तियों को शामिल करने के सर्वेक्षण तथा नीति का आधार पर संशोधित) में से 1.09 लाख बस्तियों को बारहमासी सड़क संयोजकता प्रदान की गई थीं। मंत्रालय ने शेष 0.69 लाख बस्तियों को मार्च 2019 तक जोड़ने की योजना बनाई है।

कार्यक्रम की पहले 2005 में समीक्षा की गई थी तथा योजना, निधि उपयोग, संविदा प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन, सड़कों का अनुरक्षण तथा मॉनीटरिंग में कमियां पाई गईं थीं। कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने हेतु 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि को शामिल करके निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया गया था।

वर्तमान लेखापरीक्षा ने योजना प्रक्रिया की गैर-अनुपालना, परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने में कमियों, अकुशल संविदा प्रबंधन, सड़कों का खराब अनुरक्षण, असफल गुणवत्ता नियंत्रण एवं ऑनलाईन मॉनीटरिंग प्रणाली के अवसरों को उजागर किया।

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।